भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 672

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल-प्रभावित राज्यों में नक्सलरोधी बटालियनों की स्थापना के लिए निधि

672. श्रीमती मोहसिना किदवई:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चालू बजट में नक्सल-प्रभावित राज्यों को विशेष नक्सल-रोधी बटालियनों की स्थापना के लिए निधियां देने में असफल रही है और इस प्रकार नक्सलियों के विरुद्ध लड़ाई को कमजोर कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्र की ओर से 80 प्रतिशत बजटीय सहयोग से नक्सल-प्रभावित राज्यों में नक्सलरोधी बटालियन स्थापित करने की योजना बनाई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को रद्द कर दिया गया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क): 11वीं पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रु. के परिव्यय से केन्द्र सरकार के 100 % वित्तपोषण के साथ 9 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए विशेष अवसंरचना संबंधी स्कीम (एसआईएस) को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सीसीईए) द्वारा दिनांक 02.04.2013 को निम्नलिखित प्रमुख बदलावों के साथ XIIवीं योजना अवधि के दौरान स्कीम को जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई थी:

(i) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में प्रशिक्षण अवसंरचना आवासीय अवसंरचना, हथियारो, वाहनों तथा विशेष बलों के स्तरोन्नयन और महत्वपूर्ण कमियों से संबंधित अन्य सम्बद्ध मदों के वित्त पोषण का एक नया उद्देश्य शामिल किया गया है।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा 100 % वित्तपोषण की प्रणाली में परिवर्तन करके इसे 75 (केन्द्र सरकार अंशदान): 25 (राज्य सरकार अंशदान) प्रणाली के आधार पर कर दिया गया है।

XIIवीं योजना अवधि के दौरान वित्तपोषण मे आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना को कम मात्रा में वित्तपोषण के साथ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और ओडिशा के चार वामपंथी उग्रवाद से अत्यधिक प्रभावित राज्यों में विशेष बलों के स्तरोन्नयन महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने पर ध्यान दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान आन्ध्र प्रदेश (16.99 करोड़ रु.), छत्तीसगढ़ (32.90 करोड़ रु.), झारखण्ड (16.52 करोड़ रु.), ओडिशा (33.62 करोड़ रु.) और तेलंगाना (3.00 करोड़ रु.) राज्यों को कुल 122.13 करोड़ रु. (74.13 करोड़ रु.+48.00 करोड़ रु.) की राशि जारी की गई।

तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एसआईएस के तहत निधियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता है।

घ) और (ड.): अब विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) राज्य सरकारों को अंतरित कर दी गई है।

*****